निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1930 (शo)

(सं0 पटना 563) पटना, शुक्रवार 12 दिसम्बर 2008

[विधेयक संख्या-21/2008]

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

5 दिसम्बर 2008

संख्या-वि०स०वि०-28/2008-2711वि०स०—न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2008, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सचिव, बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-21/2008]

न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2008

बिहार राज्य में लागू होने के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का VII) के संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –** (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **निरसन एवं व्यावृत्ति –** न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 04, 2008) एतद् द्वारा इसके अधिनियमित होने की तिथि के प्रभाव से निरसित किया जाता है।
परन्तु बिहार अधिनियम, 04, 2008 के अनुसरण में वसूल किया गया न्यायालय शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा,
परन्तु और कि वसूल नहीं किया गया न्यायालय शुल्क वसूली योग्य नहीं होगा।

वित्तीय संलेख

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम VII) का गठन।

आम जनता की सुविधा का देखते हुए न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 को निरस्त किया जाएगा।

इससे राज्य सरकार को पूर्ववत् कोर्ट–फी से लगभग 23 करोड़ की आय होगी।

(जमशेद अशरफ)
भारसाधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम VII) का गठन।

राज्य के लोगों को सस्ता न्याय प्राप्त हो यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

(जमशेद अशरफ)
भारसाधक सदस्य

सच्ची प्रति

पटना
दिनांक 5 दिसम्बर, 2008

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
सचिव, बिहार विधान-सभा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 563-571+10-डी0टी0पी0।